

जयपुर जिला न्यायालय
को पत्र सं: ७

21/6/19

महोदय को पत्र। आज 21/6/19
को पत्र सं: ७

14.6.19

वकील जार्जी डफ. / प्रविष्टी की तमिल
ये चुकी है। वकील जार्जी ने जांच
स्वीकार किए जाने हेतु निवेदन किया।
अवलोकन किया गया। जांच स्वीकार
किया जाता है। तदनुसार निवेदन को
1500 रूपय मौका कमिश्नर फ्री पर मौका
कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा आदेश
दिए जाने हैं कि वकील जार्जी सं. नं. 309/3
रकबा 16-00 बीछा वार्ड ग्राम श्रीगोपालपुर का
नियमानुसार सीमा जमान बुर पहचान गठी करावे।
पत्रावली फ्रेंचल शुमार डीक नम्बर से कम
ये तथा दफ्तर दाखिल है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाह